

प्रेस नोट थाना झंगहा जनपद गोरखपुर दिनांक 24.10.2024

विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने व कूटरचित/अवैध वीजा देने के आरोप में 01 नफर
वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष झंगहा के नेतृत्व में व0उ0नि0 राजेश यादव मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 310/2024 धारा 406,419,420,467,468,471 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त विजेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा तथा उनके साथियों को विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने तथा वादी मुकदमा से 1,60,000 रुपये लेकर अवैध/कूटरचित वीजा देने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता व आपराधिक इतिहास-

विजेन्द्र सिंह पुत्र रमेश सिंह ग्राम तिघरा खैरवा थाना एकौना जनपद देवरिया
अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 310/2024 धारा 406,419,420,467,468,471 भादवि थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 420/2023 धारा 406,420,504,506 भादवि थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 058/2023 धारा 406,420,506 भादवि थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 454/2023 धारा 406,420,506 भादवि थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. व0उ0नि0 राजेश कुमार यादव थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अनूप तिवारी थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
3. हे0का0 जितेन्द्र चौधरी थाना झंगहा जनपद गोरखपुर